मांग संख्या 03
मुख्य शीर्ष 2055

मद क्रमांक 1

डायल 112 योजना के विस्तार हेतु बलौदाबाजार, गरियाबंद, धमतरी, बालोद, बेमेतरा, मुंगेली, गौरला-पेण्ड्रा-मरवाही, कांकेर, सूरजपुर, कोरिया, जशपुर जिलों हेतु ₹ 2500.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु कुल ₹ 25,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

निर्भया फण्ड योजनांतर्गत एन्टी ह्यूमन

ट्रैफिकिंग यूनिट की स्थापना/सुदृढ़ीकरण हेतु राशि ₹ 360.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु कुल ₹ 3,60,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 3

निर्भया फण्ड योजनांतर्गत वुमन हेल्प डेस्क की स्थापना/सुदृढ़ीकरण हेतु राशि ₹ 300.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु कुल ₹ 3,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

क्राईम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम के क्रियान्वयन हेतु राशि ₹ 400.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु कुल ₹ 4,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 5 से 6

विशेष अधोसंरचना निर्माण योजनांतर्गत थाना भवनों का निर्माण/सदृढ़ीकरण हेतु राशि ₹ 1000.00 लाख का व्यय संभावित है। (राज्यांश ₹ 400.00 लाख एवं केन्द्रांश ₹ 600.00 लाख)

अतः इस प्रयोजन हेतु कुल ₹ 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 7

भारत सरकार के गाईड लाईन अनुसार बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों में 05 बटालियन की तैनाती हेतु मूलभूत संसाधनों की पूर्ति हेतु राशि ₹ 500.00 लाख (अनुमानित लागत ₹ 2995.50 लाख) का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु कुल ₹ 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4055

मद क्रमांक 8

जिला दंतेवाड़ा में व्हीआईपी भ्रमण के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से आईईडीएस डिटेक्शन उपकरण क्रय हेतु राशि ₹ 51.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु कुल ₹ 51,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 9

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के सुरक्षा के दृष्टिगत 10 नग बुलेट प्रूफ वाहन क्रय हेतु आकस्मिकता निधि से ₹ 600.00 लाख का अग्रिम स्वीकृत किया गया है ।

अतः आकस्मिकता निधि से लिये गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 6,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।